

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector SINGRAULI

No. 1054./FRA/TRIBAL/49/2024

SINGRAULI Dated. 11/02/2024

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land 804.368 Hectares and Revenue Forest land 3.550 Hectares proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 807.918 Hectares of forest/ Revenue Forest land proposed to be diverted in favour of EMMRL Bandha Coal Block for Coal Mine in Singrauli district falls within jurisdiction of Gram Panchayat- Bandha, Tenduha, Jamgadi (Village - Bandha, Pidarwah, Jamgadi) in Singrauli district Compartment PF 316, PF 317, RF 290, RF 291, RF 292, RF 293, RF 294, RF 296, RF 319, RF 320, RF 389, RF 390, RF 391, RF 392

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 807.918 hectares of forest land purposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Village Forest Rights Committees(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli are enclosed as annexure I 01 TO 67 annexure II 01 TO 13.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of Gram Panchayat- Bandha, Tenduha, Jamgadi (Village - Bandha, Pidarwah, Jamgadi) in Singrauli district Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli & District level Forest Rights Committee, Singrauli and is enclosed as annexure 3 (1 to 42) to annexure 4. (1-3)
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when it was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha presence.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.As above.

  
Collector 11/02/2024  
Distt-Singrauli



# कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) सिंगरौली

Email id -actw.sgl@mp.gov.in

क्रमांक/749 / जजाकावि./वन अधि./ 2024

सिंगरौली दिनांक 23-02-2024

## अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के आयोजित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 23-02-2024 का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत दिनांक 23-02-2024 को दोपहर 12:30 बजे कलेक्टर के सभाकक्ष में कलेक्टर जिला-सिंगरौली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे -

1. श्री अरूण परमार कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
2. श्री अखिल वंसल वन मण्डलाधिकारी/सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
3. श्री संजय खेड़कर सहायक आयुक्त/सचिव सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
4. कु. यशोदा पनिका सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
5. श्रीमती सत्यवती सिंह, सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
6. श्री अशोक सिंह पैगाम सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।

बैठक आरम्भ के दौरान सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली द्वारा बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु DLC से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जिसमें 02 प्रकरण में व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु SDLC बैढ़न एवं चितरंगी से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं -

### एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत प्रोजेक्ट हेड बन्धा कोल ब्लॉक के पत्र क्रमांक/EMMRL/बन्धा/1504221/13 दिनांक 15.04.2021 बन्धा कोल माइंस अन्तर्गत प्रभावित ग्राम बन्धा, पिड़रवाह एवं जमगड़ी में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु आवेदन दिया गया था। अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न के पत्र क्रमांक/613/ज.पं./2024 दिनांक 13.02.2024 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 316, PF 317, RF 290, RF 291, RF 292, RF 293, RF 294, RF 296, RF 319, RF 320, RF 390, RF 391, RF 392 रकबा 804.368 हे. एवं राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 14478, 1176/1440, 535/1445 रकबा 3.550 हेक्टेयर प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा लिया गया।  
(कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग/वन विभाग)

### एजेण्ड बिन्दु क्रमांक-2

महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मार्या. परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सिंगरौली द्वारा पाईप लाईन विछाये का कार्य किया जा रहा है जिसमें बैढ़न-2 परियोजना द्वारा वन विभाग के परिवेश पोर्टल पर आनलाईन आवेदन क्र. PF/MP/TRANS/6646/2022 किया गया है। प्रभावित क्षेत्रफल अभ्यारण्य बगदरा अन्तर्गत है। प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति चितरंगी पत्र क्रमांक /वनअधि/2023/94 दिनांक 19.02.2024 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम खम्हारडीह, कसदा, रेही, तिलया, गोपला, पौडी, पड़री कला, नौडिहवा, गोड़गवां, तमई, फुटहड़वा, फुटहड़वा, क्यौटली, माचीकला, नैकिहवां, भुइधरवा, हरमा, बगदरा, कुलकवार, पिपरखड़, बरगवां, करौदिया, खरखौली, बिछी, खम्हारिया, कुलडिहा के कक्ष क्रमांक PF 1, PF 10, PF 11, PF 12, PF 13, PF 14, PF 16, PF 17, PF 19, PF 20, PF 21, PF 22, PF 23, PF 24, PF 25, PF 26, PF 27, PF 28, PF 29, PF 30, PF 31, PF 32, PF 33, PF 34, PF 35, PF 36, PF 37, PF 38, PF 39, PF 40, PF 41, PF 42, PF 43, PF 44, PF 45, PF 46, PF 47, PF 48, PF 49, PF 50, PF 52, PF 56, PF 57, PF 59, PF 61, PF 64, PF 65, PF 66, PF 68, PF 70, PF 74, PF 75, PF 76, PF 78, PF 80, PF 90 में रकबा 22.6448 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा लिया गया।  
(कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग/वन विभाग)

रक्षक जल निगम

Yashoda




### एजेण्ड बिन्दु क्रमांक-3

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत पूर्व में निरस्त दावों का पुनर्परीक्षण वनमित्र पोर्टल द्वारा किया जा रहा है। उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति देवसर, चितरंगी एवं बैढ़न से निम्नानुसार दावे अमान्य की अनुशंसा सहित प्राप्त हुये हैं -


क्र.	उपखण्ड	जनजाति वर्ग के दावे	अन्य परम्परागत वर्ग के दावे	योग
1	देवसर	09	-	09
2	चितरंगी	05	06	11
3	बैढ़न	10	25	35
	योग	24	31	55


उपराक्तानुसार प्रकरणों का परीक्षण कर प्रकरणवार वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं प्राप्त व्यक्तिगत दावों को अमान्य कर वनमित्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा निर्णय लिया गया।


(कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग)


  
सहायक आयुक्त  
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

*Against confirmation of DD, Sanjay N8*  
वन मण्डलाधिकारी  
वन मण्डल (सामान्य) सिंगरौली

  
कलेक्टर  
जिला-सिंगरौली

  
उप संचालक  
संजय टाईगर रिजर्व सीधी

  
कु. यशोदा पनिका  
सदस्य DLC सिंगरौली


  
श्रीमती सत्यवती सिंह  
सदस्य DLC सिंगरौली

  
श्री अशोक सिंह पैगाम  
सदस्य DLC सिंगरौली

पृ.क्रमांक/150/जजाकावि/वन अधि./ 2024  
प्रतिलिपि:-

सिंगरौली दिनांक 23.02.2024

1. संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनायें म.प्र. भोपाल।
2. उप संचालक, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी।
3. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल (सामान्य) सिंगरौली।
4. अनुविभागीय अधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न, देवसर, चितरंगी जिला-सिंगरौली।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)/सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न, देवसर, चितरंगी।
6. प्रोजेक्ट हेड बन्धा कोल ब्लॉक सिंगरौली।
7. महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मार्या. परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सिंगरौली।
8. माननीय/माननीया सदस्यगण श्री/श्रीमती ..... जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली को सूचनार्थ।

  
कलेक्टर  
जिला- सिंगरौली